

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक: 4(09)एफडी/बीमा/2021

जयपुर, दिनांक 26 JUL 2021

आदेश

वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा संख्या 242 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय राज्य सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए राशि रुपये तीन हजार करोड़ के कार्मिक कल्याण कोष का निम्नानुसार गठन किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

• कोष का नाम :

उक्त कोष का नाम कार्मिक कल्याण कोष होगा।

• कार्मिक कल्याण कोष का उद्देश्य :

राज्य सरकार के सेवारत एवं सेवानिवृत्त राज्यकर्मियों के लिए उनकी विभिन्न आवश्यकताओं हेतु कम ब्याज दर पर ऋण आदि के माध्यम से वित्त की व्यवस्था करना।

• कर्मचारी कल्याण की योजनाएं

कार्मिक कल्याण कोष से निम्न योजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था की जावेगी:-

- राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) में अंशदान।
- आवास ऋण योजना।
- उच्च अध्ययन हेतु ऋण योजना।
- व्यक्तिगत ऋण योजना।
- वाहन ऋण योजना।
- कामकाजी महिलाओं के लिए उनके कार्यालयों में क्रेच योजना।
- अल्प वेतन भोगी कार्मिकों के बच्चों के लिए प्रतिभावान छात्रवृत्ति योजना

उक्त योजनाओं का वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्मिक कल्याण कोष से किया जावेगा। योजनाओं हेतु विस्तृत दिशा निर्देश पृथक् से जारी किये जायेंगे।

• कार्मिक कल्याण कोष के लिए पात्रता:

राज्य सरकार के समस्त सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिक उक्त कोष की योजनाओं के लाभ हेतु पात्र होंगे।

• कार्मिक कल्याण कोष का बजट मद :


कार्मिक कल्याण कोष का ब्याज सहित निजी निक्षेप खाता संख्या 18699 एवं बजट मद निम्नानुसार होगा:-

8342	- अन्य जमा
00	- अन्य जमा
120	- विविध जमा
(70)	- कार्मिक कल्याण कोष
00	- -

• कार्मिक कल्याण कोष का संचालन :

उक्त कोष का संचालन निदेशक, राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग के द्वारा किया जायेगा।

आज्ञा से,



(अखिल अरोरा)


प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. समस्त कलक्टर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।



(वेद प्रकाश गुप्ता) 26/7/2021
संयुक्त शासन सचिव,